

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/01001

दिनांक 01.11.2018

सेवा में,

श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,

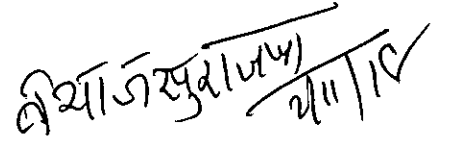
विषय:- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 04.10.2018 के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना जो कि संयुक्त सचिव (प्रशासन) से सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत प्राप्त हुई है, आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 पर की जा सकती है ।

संलग्नक - यथोपरि ।



(टी. बी. जे. एस. राजप्पा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067

फा. सं. 3/3/2018./प्र./के.सू.आ

दिनांक: 31.10.2018

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) के तहत श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता के आर टी आई आवेदन नं. 876/18 दिनांक 04.10.2018 के सन्दर्भ में।

आपके पत्र सं. CICOM/R/2018/01001 दिनांक 24.10.2018 के सन्दर्भ के सम्बन्ध में वांक्षित सूचना निम्नानुसार है :-

बिंदु	सूचना
1.	आपके द्वारा आयोग के खिलाफ जो शिकायत दिनांक 11.08.2018 की गयी है, उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही आयोग द्वारा नहीं की गयी है। केन्द्रीय सूचना आयुक्त के खिलाफ कार्यवाही करना आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है।
2.	इस प्रकार का कोई नियम आर टी आई एक्ट, 2005 और आर टी आई रूल्स में नहीं है, आयोग की प्रक्रिया के अनुसार आर टी आई आवेदनों की द्वितीय अपील की सुनवाई से सम्बंधित विशेषाधिकार सूचना आयुक्त का होता है। आर टी आई एक्ट एवं आर टी आई रूल्स public domain में उपलब्ध है जिन्हें आप स्वयं पढ़ सकते हैं।

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई.सेल।

File pse
11/11/18

कांति भूषण
(एस. पी. बेक)

संयुक्त सचिव (प्रशासन)